प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 05.04.2025

मारपीट व धोखाधड़ी का अपराध कारित कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर अभियुक्त की मोटरसाइकिल कीमत लगभग 50,000 रुपये को जब्त किया गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैंट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल के नेतृत्व में व जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 94/23 धारा 3/1 यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त विनोद कुमार मिश्रा द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं मारपीट व धोखाधड़ी से अर्जित सम्पत्ती से अर्जित 01 अदद मोटरसाइकिल को तहसीलदार सदर देवेन्द्र कुमार यादव मय थाना रामगढताल पुलिस टीम की मौजूदगी में उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। जब्त की गयी संपत्ति 01 अदद मोटरसाइकिल जिसकी कुल कीमत लगभग 50,000 रुपये है। अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

विनोद कुमार मिश्रा पुत्र संतोष मिश्रा निवासी मानबेला टोला पतर कुईया थाना चिलुआताल गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 94/23 धारा 3/1 यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 606/2022 धारा 147,323,504,506,427,445,307 भादवि0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 621/2022 धारा 193,420,120बी भादवि0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण-

01 अदद मोटरसाइकिल कीमत लगभग 50,000 रुपये

कार्यवाही में शामिल टीम-

1. देवेन्द्र यादव तहसीलदार सदर जनपद गोरखपुर
2. प्र0नि0 चितवन कुमार थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 विवेक चतुर्वेदी थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर